बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

<u>आदेश</u>

पटना, दिनांक ....

संख्या–08/मु०4–07/2026....................../CWJC No- 2735/2026 शाह शोभा कुमारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 18.02.2026 को पारित के आदेश के अनुपालन में यह आदेश पारित किया जा रहा है।

2. श्रीमती शाह शोभा कुमारी, राजकीय बुनियादी विद्यालय, हरणबाधा, सारण में बुनियादी विद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में पदस्थापित हैं। इनके द्वारा निम्न अवर शिक्षा सेवा से अवर शिक्षा सेवा (प्रा०शा०) संवर्ग में उनसे कनीय को दी गयी प्रोन्नति की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करने हेतु यह वाद दायर किया गया।

3. उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा सुनवाई करते हुए दिनांक 18.02.2026 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया :–

> "8. Considering the submissions of the parties, this Court directs the petitioner to file a fresh representation before the competent authority, appending all relevant supportingmaterials and a copy of the judicial pronouncement covering her case, within a period of four weeks from today. Upon filing of such representation, if the grievance of the petitioner is found to fall within the parameters fixed by the learned Single Judge in the aforesaid case, necessary orders shall be passed within a period of eight weeks from the date of receipt of such representation. The benefits to which the petitioner is found entitled shall be extended to her within the same time frame.
>
> 9. With the aforesaid observations and directions, the writ application stands disposed of."

4. माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के आलोक में वादी द्वारा अपना अभ्यावेदन उपलब्ध कराया गया। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं वादी से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में दिनांक 08.04.2026 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में सुनवाई की गयी। सुनवाई में वादी स्वयं उपस्थित हुए एवं विभाग की तरफ से क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमण्डल, छपरा द्वारा पक्ष रखा गया। सुनवाई के क्रम में दोनों पक्षों द्वारा उक्त मामले से संबंधित अन्य अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त समय की माँग की गयी। तदालोक में उक्त मामले की अगली निर्धारित सुनवाई तिथि 15.04.2026 को वादी अपने अधिवक्ता के साथ VC के माध्यम से उपस्थित हुए एवं अपना पक्ष रखा।

5. श्रीमती शाह शोभा कुमारी, सहायक शिक्षक, राजकीय बुनियादी विद्यालय, हरणबाधा, सारण का उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र के अनुसार श्रीमती शाह शोभा कुमारी का शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र का विवरण निम्नवत् है:–

क्र०	योग्यता	प्रथम वर्ष का समायावधि	द्वितीय वर्ष का समयावधि	अभ्युक्ति
1	इन्टर विज्ञान संकाय (1984–86)	1984–85	1985–86	शिक्षण प्रशिक्षण एवं स्नातक का सत्रावधि टैली कर रहा है।
2	प्रशिक्षण, नियमित (1986–88)	1986–87	1987–88	
3	बी०एस०सी, नियमित (1986–89)	1986–87	1987–88	

6. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या–19300 दिनांक–13.10.2023 के आलोक में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत निम्न अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के कार्यरत सहायक शिक्षकों को उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर–6) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार देने हेतु निदेशक, प्राथमिक शिक्षा की अध्यक्षता में दिनांक– 13.12.2023 को आहूत स्क्रीनिंग समिति की बैठक में श्रीमती शाह शोभा कुमारी द्वारा सत्र 1986–88 में प्रशिक्षण एवं सत्र 1986–89 में स्नातक की उपाधि की सत्र समानता होने तथा सेवा सम्पुष्टि संबंधी साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के कारण स्क्रीनिंग समिति द्वारा इन्हें प्रोन्नति हेतु अयोग्य के श्रेणी में रखा गया।

पुनः दिनांक 11.04.2025 को उच्चतर प्रभार प्रदान करने हेतु आहूत स्क्रीनिंग समिति की बैठक में श्रीमती शाह शोभा कुमारी को प्रशिक्षण एवं स्नातक की उपाधि की सत्र समानता के कारण इन्हें प्रोन्नति योग्य अनुशंसा की श्रेणी में नहीं रखा गया।

7. पूर्व में समरूप मामले में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से परामर्श की मांग की गयी थी। अपर सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पत्रांक BSEB(SS)PAT/1207/D-8 दिनांक 16.08.2018 के द्वारा एक ही शिक्षण सत्र में एक से अधिक प्रमाण पत्रों की मान्यता के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) नई दिल्ली के द्वारा विचार करने हेतु विशेषज्ञों की समिति की बैठक का प्रतिवेदन की प्रति भेजी है, जिसमें अंकित किया गया है कि "Distance Education Council Indira Gandhi National Open University Maidan Garhi, New Delhi, "Two Degree Programmes cannot be allowed to be pursued simultaneously. However, a student can pursue two programmes simultaneously through distance mode or combination of distance and regular modes from the some of different universities/Institutions in various combinations."

7. Minutes of the meeting of the committee to consider the issue of pursuing more than one degree simultaneously and Joint degree programme.

Meeting was held on 29 October 2012 in UGC Head office and following decisions were taken:-

"A student enrolled in a degree programme under regular mode may be allowed to pursue a maximum of one additional degree programme simultaneously under

open/distance mode from the same or a different university. However, two degree programmes under regular mode may not be allowed simultaneously as it may create logistic, administrative and academic problems."

8. उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा शैक्षणिक उपाधियों के सत्र समान होने तथा दोनों ही कोर्सेज के नियमित छात्र होने की स्थिति में प्राप्त किये गये उपाधियों का मान्यता दिया जाना Academic एवं व्यवहारिक रूप से उचित नहीं है। पूर्व में विभागीय आदेश ज्ञापांक 583 दिनांक 03.06.2016 एवं ज्ञापांक 642 दिनांक 29.06.2016 द्वारा निम्न अवर शिक्षा सेवा से अवर शिक्षा सेवा (प्रा०शा०) संवर्ग में मात्र वैसे कतिपय कर्मियों को प्रोन्नति दी गयी जिनके द्वारा एक कोर्स स्वतंत्र छात्र/छात्रा के रूप में पूरी की गयी थी।

याचिकाकर्त्ता के द्वारा प्राप्त की गयी उपाधियाँ/ कोर्सेज नियमित छात्रा के रूप में पूरी की गयी है।

9. एक शिक्षण सत्र में दो अलग–अलग संस्थाओं से एक साथ नियमित छात्र/छात्रा के रूप में अध्ययन प्राप्त करना Academic एवं व्यवहारिक रूप से उचित नहीं है।

10. क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, सारण प्रमंडल, छपरा के पत्रांक 63 दिनांक 13.04.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रभारी प्रधानाध्यापिका, राजकीय बुनियादी विद्यालय हरणबाधा, मकेर, सारण के पत्रांक 127 दिनांक 25.02.2026 के द्वारा श्रीमती शाह शोभा कुमारी को कलिंगा विश्वविद्यालय से सत्र 2022 में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप भूतलक्षी प्रभाव से (घटनोत्तर) अनुमति प्रदान करने की मांग की गई, जिसे क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, सारण प्रमंडल, छपरा के कार्यालय के पत्रांक 387 दिनांक 11.04.26 के द्वारा सेवाकाल में योग्यतावर्द्धन के पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं किये जाने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया है। श्रीमती गायत्री कुमारी का मामला इससे भिन्न प्रकृति का है।

11. अतः श्रीमती शाह शोभा कुमारी, सहायक शिक्षक, राजकीय बुनियादी विद्यालय, हरणबाधा, सारण को निम्न अवर शिक्षा सेवा से अवर शिक्षा सेवा (प्रा०शा०) में किये गये प्रोन्नति के दावे को खारिज करते हुए मामले को निस्तारित किया जाता है।

ह०/–
(विक्रम विरकर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

ज्ञापांक: 08/मु०–04–07/2026 –606/ पटना, दिनांक 04.05.2026

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमण्डल, छपरा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण,/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०)/श्रीमती शाह शोभा कुमारी, सहायक शिक्षिका, राजकीय बुनियादी विद्यालय, हरणबाधा, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे ।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा